मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 1990 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 1990 (अग्रहायण 29, 1912)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्त: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश जोशी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री : कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 24 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश जोशी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री : कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का द्वादश वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा (दिनांक 31 दिसम्बर, 1982) पटल पर रखेंगे.

(3) श्री कैलाश जोशी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री : कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार आप्टेल टेली कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988-90 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री कैलाश जोशी, ऊर्जा मंत्री : विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री कैलाश जोशी, ऊर्जा मंत्री : विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 79-ए की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की ओर से प्राप्त मध्यप्रदेश विद्युत मंडल की निम्नलिखित अधिसूचनायें :—

(1) क्रमांक 01-05-एक-105 दिनांक 29 मई, 1990.

(2) क्रमांक 01-05-एक-210 दिनांक 24 नवम्बर, 1990.

(3) क्रमांक 01-05-एक-216 दिनांक 4 दिसम्बर, 1990

पटल पर रखेंगे.

(6) श्री बलीराम कश्यप आदिम जाति कल्याण मंत्री : भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 (2) के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की उनतीसवीं रिपोर्ट, वर्ष 1987-89 को मध्यप्रदेश के राज्यपाल के निर्देशानुसार पटल पर रखेंगे.

(7) श्री ननकी राम कंवर, कृषि मंत्री : जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, मध्यप्रदेश की वैधानिक आडिट रिपोर्ट / उत्तर एवं बोर्ड की टिप्पणी वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा वर्ष 1984-85 का अनुभाग 1 व 2 पटल पर रखेंगे.

(8) श्री हिम्मत कोठारी, लोक निर्माण मंत्री : कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड, भोपाल का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 1987-89 (दिनांक 1 अक्टूबर, 1987 से 31 मार्च, 1989 तक) पटल पर रखेंगे.

(9) श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री : मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 51 की उपधारा (4) तथा धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें :—

(1) क्रमांक ए-5-3-90-विक-पांच (70) दिनांक 10 अगस्त, 1990

(2) क्रमांक ए-3-25-90-विक-पांच (56) दिनांक 13 जुलाई, 1990

पटल पर रखेंगे.

(10) श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री : केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 13 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना एफ क्रमांक ए-5-2-90-विक-पांच (68), दिनांक 8 अगस्त, 1990 पटल पर रखेंगे.

(11) श्री मोहम्मद गनी अंसारी, राज्य मंत्री, मछली पालन : मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम अधिनियम, 1979 (क्रमांक 6 सन् 1979) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978-79 से 1988-89 तक पटल पर रखेंगे.

(12) श्री मूलचन्द खंडेलवाल, राज्य मंत्री, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति : कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1984-85 पटल पर रखेंगे.

(13) श्री जयन्त मलैया, राज्य मंत्री, आवास एवं पर्यावरण : जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1986-87 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य इन्दौर शहर के अनेक क्षेत्रों में डकैती की घटनायें होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डा. गोविन्द सिंह/सर्वश्री श्रीराम जाटव/हरीसिंह नरवरिया, सदस्य, भिण्ड जिले के अनेक क्षेत्रों में अतिवृष्टि से प्रभावितों को पर्याप्त सहायता न मिलने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री गौरीशंकर बिसेन, सदस्य बालाघाट जिले के ग्राम हिर्री में नक्सलवादियों द्वारा एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री नन्दकुमार सिंह चौहान, सदस्य, बुरहानपुर तहसील के केला उत्पादक कृषकों को राहत प्रदान किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 254 राजगढ़ से निर्वाचित सदस्य श्री रघुनन्दन शर्मा को विधान सभा के दिसम्बर, 1990 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री मोतीलाल वोरा, सभापति, लोक लेखा समिति का 134 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) डा. परशुराम साहू, सभापति, प्राक्कलन समिति (1990-91) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) डा. रामजी महाजन, सभापति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री केशरसिंह चौहान, सभापति, याचिका समिति का प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री नन्दकुमार सिंह चौहान, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :--

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से सहमत है".

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री वासुदेव ठाकरे, सदस्य--

(क) जिला बैतूल के ग्राम प्रभातपट्टन के पास वर्धा नदी एवं ग्राम करनापुर के पास अम्मोरा नदी पर सिंचाई बांध बनाये जाने के संबंध में 13 व्यक्तियों की,

(ख) जिला बैतूल, विधान सभा क्षेत्र मासौद के अन्तर्गत ग्राम रायडगांव में सिंचाई बांध बनाये जाने के संबंध में 15 व्यक्तियों की,

(ग) जिला बैतूल के ग्राम आठनेर-बैतूल रोड का डामरीकरण कराने के संबंध में 29 व्यक्तियों की,

(घ) जिला बैतूल के ग्राम धनोरा के पास ताप्ती नदी पर थर्मल पॉवर प्लांट बनाये जाने के संबंध में 27 व्यक्तियों की,

(ङ) जिला बैतूल के ग्राम आठनेर में कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने के संबंध में 31 व्यक्तियों की,

(च) जिला बैतूल के ग्राम आठनेर में शासकीय महाविद्यालय के लिये भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में 31 व्यक्तियों की, तथा

(छ) जिला बैतूल के ग्राम बिसनूर-साईखेड़ा मार्ग पर ताप्ती नदी पर पुल व स्टाप डेम बनाने के संबंध में 28 व्यक्तियों की,

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

(2) ठा. दरबार सिंह, सदस्य---

(क) जिला राजनांदगांव, तहसील कवर्धा के ग्राम सहसपुर लोहारा को उप तहसील का दर्जा दिलाये जाने के संबंध में 27 व्यक्तियों की,

(ख) जिला राजनांदगांव, तहसील कवर्धा के सहसपुर लोहारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पोस्ट-मार्टम/चीरघर स्थापित करने एवं भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में 28 व्यक्तियों की,

(ग) जिला राजनांदगांव, तहसील कवर्धा के सहसपुर लोहारा से रेंगाखार वन मार्ग को लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत दिये जाने एवं शीघ्र पूरा किये जाने के संबंध में 27 व्यक्तियों की,

(घ) जिला राजनांदगांव, विकास खण्ड सहसपुर लोहारा के ग्राम रणवीरपुर में शाला भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में 29 व्यक्तियों की, तथा

(ङ) जिला राजनांदगांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रणवीरपुर में माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल का हाई स्कूल परीक्षा केन्द्र खोले जाने के संबंध में 27 व्यक्तियों की,

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, सदस्य---

(क) जिला शहडोल, विकास खण्ड जैतहरी के ग्राम सोनमौहरी से अनूपपुर तक मार्ग निर्माण कराये जाने के संबंध में 71 व्यक्तियों की,

(ख) जिला शहडोल, विकासखण्ड जैतहरी के ग्राम सोनमौहरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के संबंध में 72 व्यक्तियों की,

(ग) मध्यप्रदेश राज्य के बीड़ी मजदूरों को मजदूरी की राशि बढ़ाने एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में 510 बीड़ी श्रमिकों की, तथा

(घ) पन्ना जिले में बराध अपर डेम योजना को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के संबंध में 287 व्यक्तियों की,

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री लक्ष्मण जयदेव सतपथी, सदस्य---

(क) जिला रायपुर के शासकीय महाविद्यालय बसना एवं शासकीय महाविद्यालय पिथौड़ा में प्राचार्य एवं स्टाफ की पूर्ति तथा महाविद्यालय भवन निर्माण के संबंध में 40 व्यक्तियों की,

(ख) जिला रायपुर, तहसील सरायपाली के मुख्यालय में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय की स्थापना कराये जाने के संबंध में 35 व्यक्तियों की,

(ग) जिला रायपुर के तहसील बसना में विद्युत विभाग के संभागीय यंत्री कार्यालय खोले जाने के संबंध में 38 व्यक्तियों की,

(घ) जिला रायपुर, विधान सभा क्षेत्र बसना-सराईपाली के ग्राम तोषगांव एवं घोंच में पशु औषधालय की स्थापना कराये जाने के संबंध में 47 व्यक्तियों की, तथा

(ङ) जिला रायपुर, तहसील सराईपाली के ग्राम चारभांठा में संचालित हाईस्कूल को शासनाधीन किये जाने के संबंध में 30 व्यक्तियों की,

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

(5) श्री प्रेमशंकर वर्मा, सदस्य---

(क) जिला होशंगाबाद, तहसील सिवनी मालवा के ग्राम बावड़िया भाऊ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक एवं दाई की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में 22 व्यक्तियों की, तथा

(ख) जिला होशंगाबाद, तहसील सिवनी मालवा के ग्राम पगढाल में कृषि सिंचाई हेतु उचित व्यवस्था कराये जाने के संबंध में 10 व्यक्तियों की,

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री कैलाश चावला, गृह मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा विधेयक, 1990 (क्रमांक 31 सन् 1990) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर संशोधन) विधेयक, 1990 (क्रमांक 32 सन् 1990) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

9. वर्ष 1984–85 के आधिक्यों के विवरण का उपस्थापन

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री वर्ष 1984-85 के आधिक्यों के विवरण का उपस्थापन करेंगे.

निर्धारित समय

10. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा

(1) प्रदेश में बढ़ रहे नशीली वस्तुओं के व्यापार एवं उपयोग के कारण नवयुवकों का जीवन अंधकारमय होने के संबंध में श्री ललित जैन, श्री कैलाश विजयवर्गीय एवं डा. रामजी मस्तकार, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

1 घन्टा 30 मिनट

(2) कृषकों को सरकार द्वारा घोषित रु. 10,000.00 ऋण मुक्ति का लाभ न मिलने के संबंध में श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

11. वर्ष 1990-91 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

अपरान्ह 3 बजे तक

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:—

"दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 55, 56, 58, 59, 64, 65, 67, 69, 71, 72 एवं 73 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर एक सौ तेईस करोड़, इक्यावन लाख, बयान्वे हजार, छः सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 4) विधेयक, 1990 (क्रमांक 29 सन् 1990) का पुर:स्थापन* करेंगें तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल
दिनांक 19 दिसम्बर, 1990.

---

*अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात.